राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिग/सामान्य/2019/ दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उनके अधीन पदस्थापित नर्स ग्रेड–प्रथम/ नर्स–2/फार्मासिस्ट/एएनएम के द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृती हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है, जिनमे कई प्रकार की कमियां पाये जाने के कारण अनावश्यक अवकाश स्वीकृती मे विलम्ब होता है तथा कर्मचारी अनावश्यक रूप से परेशान होते है अतः इस संबध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. कर्मचारी का पूरा नाम मय पदस्थापन स्थान।
2 संबधित कॉलेज की विज्ञप्ति/विवरिणिका की प्रति।
3. संबधित कॉलेज का आंवटन पत्र ।
4.बीएससी/एमसी नर्सिग कालेज हेतु कार्यमुक्ति आदेश की प्रति।
5 कॉलेज मे उपस्थिती दिनांक ।
6 आवेदित जीए–45 में अवकाश का प्रकार स्पष्ट अंकित होना चाहिए (बकाया अवकाश के अनुसार)
7. परिवीक्षा अवधि के दौरान आवेदित अवकाश अवधि के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग किया है अथवा नही का प्रमाण पत्र अंकित करें।
8. कार्मिका के अवकाश कोष में शेष उपार्जित/अर्द्ववैतनिक अवकाश संबधित विवरण।
9. परिवर्तित अवकाश स्वीकृति की स्थिति मे मूल रोग/आरोग्य प्रमाण पत्र संलग्न कर भिजवायें साथ ही अवकाश प्रस्थान/कार्यग्रहण रिपोर्ट की छाया प्रति भी संलग्न करें।
10.राज्य सरकार को भिजवाये जाने वाले अवकाश स्वीकृति प्रकरणों के साथ चैक लिस्ट निर्धारित प्रारूप में सुस्पष्ट भरकर साथ संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से तैयार करने के उपरान्त ही अवकाश प्रकरण निदेशालय को भिजवायें यदि कोई भी प्रकरण बिना प्रकरण की जांच/परीक्षण के भिजवाया जावेगा तो विलम्ब के लिये संबधित अधिकारी/कर्मचारी दोषी होगें।

-Sd-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिग/सामान्य/2019/52 दिनांकः– 22/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 समस्त प्रधानाचार्य, एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविधालय राजस्थान।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–राजस्थान।
3 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6 आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।